

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर

दाताराम बनाम पवन कुमार आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :- 52/2022

प्रकरण संख्या (GCMS) :- 2022/246

31.05.2022 यह पत्रावली वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री श्रवण बिश्नोई के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 06.07.2022 को पेश हो।

06⁰⁷/₂₂

पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर/मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 16.08.22 को पेश हो।

16.8.22

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने यह वाद पत्र नोटिस के आदेश पर खारिज किया जाने का विवेक किया। विवेक स्वीकार करते हुए यह वाद पत्र नोटिस के आदेश पर इसी स्तर पर खारिज किया गया है। पत्रावली का तस्वीर तस्वीर खेत दायित्व दस्तावेज।

नोटिस प्रेश
16/8/22

(अग्निवाहा)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना